दीपक कुमार प्रह्लादका

बनाम

मुख्य न्यायाधिपति प्रभा शंकर मिश्रा और एक अन्य

अप्रैल 28,2004

[वाई.के.सभरवाल और अरुण कुमार, जे.जे.]

न्यायालय की अवमाननाः

अवमानना कार्यवाही – नोटिस – अभिनिर्धारित, अवमानना का दोषी ठहराने और उसके खिलाफ कारावास का आदेश पारित करने से पहले वह नोटिस दिए जाने और सुनवाई के अवसर का हकदार है।

न्यायालय की अवमानना के लिए याचिका – अभिनिर्धारित, उच्च न्यायालय के उन्हीं न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई नहीं जा सकी, जो उसमे प्रत्यर्थी थे - व्यवहार और प्रक्रिया।

उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपीलार्थी के बयान के आधार पर कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों को अवमाननापूर्ण मानते हुए उसे स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने अवमानना नोटिस का जवाब पेश करने के बजाय दोनों न्यायाधीशों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 के तहत अपीलार्थी द्वारा पेश एक आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि अपीलार्थी ने

कानून और न्यायपालिका पर शोधकर्ता होने का नाटक करते हुए और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई फैसलों पर शोध करने का दावा करते हुए उक्त आवेदन दायर करके केवल कानून की अज्ञानता का प्रदर्शन किया। अपीलार्थी ने इन न्यायाधीशों के खिलाफ दूसरी अवमानना याचिका पेश की और यह भी तर्क दिया कि उनके खिलाफ यह आरोप कि उसने कानून और न्यायपालिका के शोधकर्ता होने का नाटक किया, गलत था। अपीलार्थी द्वारा पेश दोनों अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और उसे उक्त दो अवमानना याचिकाओं में न्यायालय को बदनाम करने वाले अवमाननापूर्ण और लापरवाह दावे करने के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया और उसे जुर्माने के साथ छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई।

अपीलों में अपीलार्थी ने अपने तर्कों को अपनी दोषसिद्धि और सजा तक सीमित रखा और तर्क दिया कि उसे नोटिस जारी किए बिना और जवाब देने के लिए एक उचित अवसर प्रदान किए बिना, अवमानना याचिका दायर करने और उसमें कथन करने के लिए उसे अवमानना का दोषी ठहराना कानूनी रूप से अनुज्ञेय नहीं है, और यह कि उसके द्वारा दायर दूसरी अवमानना याचिका उन्ही न्यायाधीशों द्वारा सुनकर फैंसला नहीं दिया जा सकता जो उसमें प्रत्यर्थी थे।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया**:**

1. निस्संदेह, अपीलार्थी द्वारा अपनाया गया तरीका बहुत चौंकाने वाला था और प्रथम दृष्टया दो अवमानना याचिकाओं को दाखिल करना और उनमें न्यायाधीशों के खिलाफ आक्षेपों की प्रकृति अवमाननापूर्ण थी; लेकिन मामले के तथ्य कितने भी

भयावह क्यों न हों, अपीलार्थी उसे अवमानना का दोषी ठहराने और उसके खिलाफ कारावास का आदेश पारित करने से पहले एक नोटिस और एक अवसर का हकदार था। अभिलेख से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने से पहले अपीलार्थी को न तो कोई नोटिस जारी किया गया था और न ही उचित अवसर दिया गया था। [839-बी-सी]

2. दूसरी अवमानना याचिका की सुनवाई और निस्तारण उन्ही न्यायाधीशों द्वारा नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे उक्त याचिका में प्रतिवादी थे। उस मामले में अनुरोध, हालांकि पूरी तरह से गलत था, उन न्यायाधीशों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करना जिन्होंने इसे सुना और निस्तारित किया। न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया हुआ भी प्रतीत होना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान न्यायालय के समक्ष अवमानना का मामला नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें दो अवमानना याचिकाओं में किए गए कथन प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण और अदालत को बदनाम करने की प्रवृत्ति रखने वाले हैं। [839-डी-ई]

3. मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इन वर्षों में अपीलार्थी के दृष्टिकोण में सुधार को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा पेश दो अवमानना याचिकाओं को खारिज करते हुए, दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। [840-बी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 845/1998

सीपीएएन संख्या 902/1998 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनक 5.5.98 से।

साथ में

आपराधिक अपील सं. 846/1998

अपीलार्थी स्वयं।

दीपांकर पी.गुप्ता और प्रवीण कुमार, प्रत्यर्थियों की और से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

वाई.के.सभरवाल, न्यायाधिपति

ये अपीलें कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के 5 मई, 1998 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें अपीलार्थी को दो अवमानना याचिकाओं में, जिनको हिन्हे उसने उच्च न्यायालय में पेश किया था, न्यायालय को बदनाम करने वाले अपमानजनक और लापरवाह बयान देने के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया गया था और छह महीने की कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। उक्त दो अवमानना याचिका संख्या 333/1997 और सीपीएएन संख्या 902/1998 की कार्यवाही का भी आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुसार निस्तारण किया गया। इस न्यायालय ने अपीलार्थी को केवल कारावास की सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया। रिहाई से पहले, अपीलार्थी पहले ही 36 दिनों की कैद भुगत चुका था।

सीसी संख्या 333/97 और सीपीएएन संख्या 902/98 अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए थे ताकि प्रत्यर्थियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सके, जो उस समय उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश थे। सीसी नंबर 333/97 दो न्यायाधीशों के खिलाफ 4 दिसंबर 1997 को पेश की गई थी जो खंड पीठ के सदस्य थे, जिन्होंने 16 सितंबर 1997 को एक आदेश दिया था जिसमें अपीलार्थी को स्वत: अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने आदेश में इंगित किया अपीलार्थी के बयान पर अखबार की रिपोर्ट प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण थी। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी को एक पूरक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया गया था, जिसमें कानून शोधकर्ता होने के अपने दावे के औचित्य में अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देते हुए, उस अवमानना आवेदन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जो उसने कथित तौर पर किया था और जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था और सामग्री के साथ समाचार पत्र में दिए गए बयानों के कारण और औचित्य, जिन पर वह राहत पाने का दावा कर सकता है। प्रथम दृष्टया, न्यायालय ने पाया कि समाचार पत्रों की रिपोर्टें न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करती हैं। 13 अगस्त और 16 सितंबर, 1997 के आदेशों के संदर्भ में, अपीलार्थी को स्वत: संज्ञान लेते हुए 26 सितंबर, 1997 को अवमानना नोटिस जारी किया गया था।

दूसरी अवमानना याचिका (सीपीएएन नंबर 902/98) अपीलार्थी द्वारा 24 अप्रैल, 1998 को दो अन्य माननीय न्यायाधीशों के खिलाफ पेश की गई थी, जो एक

अन्य खंड पीठ के सदस्य थे, जिन्होंने 12 जनवरी, 1998 को एक आदेश पारित कर एक आवेदन को खारिज कर दिया था जिसे अपीलार्थी ने धारा 340 सीआरपीसी के तहत दायर किया था 12 जनवरी, 1998 के निर्णय में, डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित प्रभाव की टिप्पणियाँ कीं: -

> "कानून और न्यायपालिका पर एक शोधकर्ता होने का दिखावा करते हुए और यह दावा करते हुए कि उसने कानून की व्याख्या और न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर सफलतापूर्वक शोध किया है, याचिकाकर्ता दीपक कुमार प्रहलादका ने केवल तत्काल याचिका पेश करते हुए केवल कानून के बारे में अज्ञानता का प्रदर्शन किया है।"

अपीलार्थी के अनुसार, यह आरोप कि उसने कानून और न्यायपालिका के शोधकर्ता होने का दिखावा किया था, झूठा था और बिना किसी सबूत के संदर्भ के लगाया गया था और इस दृष्टि से अपीलार्थी ने प्रार्थना की कि उन न्यायाधीशों, जो खंड पीठ के सदस्य हैं, के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

इन अपीलों के निर्णय के लिए, हम उस दावे को सही मानेंगे जो अपीलार्थी ने प्रासंगिक समय पर किया था कि वह कानून और न्यायपालिका पर एक शोधकर्ता हैं, उन्होंने कानून की व्याख्या और न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों पर शोध किया है। इस धारणा पर, अपीलार्थी द्वारा दो अवमानना याचिकाएं पेश करने में अपनाया गया

रास्ता अधिक चौंकाने वाला था क्योंकि यह धारणा यह भी दिखाएगी कि अपीलार्थी कोई आम आदमी नहीं है बल्कि कानून का अच्छा जानकार व्यक्ति है। यह पूरी तरह से समझने योग्य है कि जब अपीलार्थी को स्वत: संज्ञान अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित किया जाता है, तो वह इसे ऐसे आधारों पर चुनौती देता है जो कानून में उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन अपीलार्थी ने उन न्यायाधीशों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने का एक अजीब और पूरी तरह से अनुचित तरीका अपनाया, जिन्होंने इस तरह के अवमानना नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इसी तरह, यह समझ में आता है कि यदि अपीलार्थी 12 जनवरी 1998 के आदेश से व्यथित है, तो वह उचित कार्यवाही में इसकी सत्यता को चुनौती देता है या यदि उस आदेश में कोई गलत तथ्यात्मक बयान दिया गया है, तो वह उस बयान को हटाने का आदेश चाहता है, लेकिन इसके बजाय ऐसा करने पर, वह उन न्यायाधीशों के खिलाफ अवमानना का मामला (सीपीएएन नंबर 902/98) पेश करता है जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत उसके आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित किया था।

जब उपरोक्त दो अवमानना याचिकाएं एक खंड पीठ के समक्ष विचार के लिए आईं, जिसमें दो माननीय न्यायाधीश शामिल थे, जिन्होंने 12 जनवरी, 1998 को आदेश पारित किया था, अपीलार्थी ने उन याचिकाओं में न्यायाधीशों के खिलाफ व्यापक अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। एक सभ्य समाज के सभी मानदंडों से परे जाकर और जिस तरह से उसने अवमानना याचिकाएँ दायर कीं और उसमें आरोप लगाए, उससे न्यायालय की बदनामी हुई, उसे न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया गया और

जैसा कि पहले देखा गया, सजा सुनाई गई। दोनों अवमानना याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ है। उच्च न्यायालय द्वारा दो अवमानना याचिकाओं को खारिज करने को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलार्थी का कहना है कि वह उस हद तक आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती नहीं देना चाहता, जिस हद तक यह उन अवमानना याचिकाओं को खारिज कर देता है। अपीलार्थी की चुनौती आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उसकी दोषसिद्धि और सजा को लेकर है। अपीलार्थी द्वारा अपनी चुनौती के समर्थन में मुख्य आधार यह है कि उसके द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं को खारिज करना एक बात है, लेकिन उक्त अवमानना याचिका दायर करने और उसमें अपीलार्थी द्वारा दिए गए कथनों के लिए उसे अवमानना का दोषी ठहराना पूरी तरह से अलग बात है। तर्क दिया गया कि उसे नोटिस जारी किए बिना और उसे जवाब देने का उचित अवसर दिए बिना कानूनन इसकी अनुमति नहीं है। अपीलार्थी का दूसरा तर्क यह है कि सीपीएएन नंबर 902/96 को उन माननीय न्यायाधीशों द्वारा सुना और निस्तारण नहीं जा सकता था, जिन्होंने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया था क्योंकि न्यायाधीश स्वयं उक्त याचिका में प्रत्यर्थी थी। दोनों ही तर्कों में दम है. निस्संदेह, अपीलार्थी द्वारा अपनाया गया तरीका बहुत चौंकाने वाला था और प्रथम दृष्टया दो अवमानना याचिकाओं को पेश करना और उनमें न्यायाधीशों के खिलाफ आक्षेपों की प्रकृति अवमाननापूर्ण थी, लेकिन मामले के तथ्य कितने भी स्पष्ट क्यों न हों, अपीलार्थी उसे अवमानना का दोषी ठहराने और

उसके खिलाफ कारावास का आदेश पारित करने से पहले एक अवसर नोटिस का हकदार था। अभिलेख से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने से पहले अपीलार्थी को न तो कोई नोटिस जारी किया गया था और न ही उचित अवसर दिया गया था। इसके अलावा, दूसरी अवमानना याचिका को विद्वान न्यायाधीशों द्वारा सुना और निस्तारण नहीं जा सकता क्योंकि वे उक्त याचिका में प्रत्यर्थी थे। उस मामले में प्रार्थना हालांकि पूरी तरह से गलत थी, लेकिन उन न्यायाधीशों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की थी जिन्होंने इसे सुना और इसका निस्तारण किया। न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। इस बात पर भी गौर किया जा सकता है कि वर्तमान में यह न्यायालय की अवमानना का मामला नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जहां दो अवमानना याचिकाओं में दिए गए कथन प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण हैं और न्यायालय को बदनाम करने वाले हैं।

उपरोक्त तथ्यों पर, सामान्य रूप से लागू फैसले और आदेश को अपास्त रखते हुए, यह निष्कर्ष लेने से पहले कि वह अवमानना का दोषी है या नहीं, हम अपीलार्थी को नोटिस जारी करने और अवसर देने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर देते। लेकिन, मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि मामले को प्रतिप्रेषित करना आवश्यक नहीं है। अपीलार्थी पहले ही 36 दिनों की सजा काट चुका है। दोनों अवमानना याचिकाएं (सीसी नंबर 333/97 और सीपीएएन नंबर 902) खारिज कर दी गई हैं और अपीलार्थी इसकी बर्खास्तगी को

चुनौती नहीं देना चाहता है। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि अपीलार्थी ने पिछले छह वर्षों में सबक सीख लिया है। दो अवमानना याचिकाओं को दायर करने से प्रदर्शित नकारात्मक दृष्टिकोण के बजाय, उसका दावा है कि उसने कैदियों के अधिकारों को बढ़ावा देने का रचनात्मक काम शुरू कर दिया है और एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में जिसके समर्थन में उन्होंने समाचार पत्र की रिपोर्ट पेश की है, कानूनी संवाददाता के रूप में शामिल हो गया हैं। उन रिपोर्टों से पता चलता है कि अपीलार्थी एक कानूनी संवाददाता के रूप में काम कर रहा है। अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया गया है कि कानूनी बिरादरी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा रिपोर्टों की व्यापक रूप से सराहना की जाती है। अपीलार्थी जेल में बिताए गए 36 दिनों की अवधि के लिए चुनौती देना या किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता है।

उपरोक्त विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दोनों अवमानना याचिकाओं की बर्खास्तगी को कायम रखते हुए, हम विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं, जिसमे अपीलार्थी को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी धहराया और उसे उपरोक्त सजा दी गई। जुर्माना, यदि जमा किया गया, अपीलार्थी को वापस कर दिया जाए। अपीलों का निस्तारण तदनुसार किया गया।

आर. पी.

अपीलें निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****